

ऑनलाइन रेमेडियल कोचिंग हेतु आवश्यक निर्देश

1. विद्यार्थियों को पंजीकरण हेतु ऑनलाइन फार्म भरना होगा।
2. SC/ST विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
3. OBC/NCL विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
4. Minority (अल्पसंख्यक) विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
5. General/EWS/BPL विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से आय प्रमाण पत्र/बी.पी. एल/ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
6. कक्षाओं का संचालन Google Meet के माध्यम से किया जायेगा।
7. कक्षाओं से संबंधित जानकारी ई-मेल व व्हाट्सएप में भेजी जायेगी।

प्रो. चंदा बैन

समन्वयक
Coordinator
रेमेडियल कोचिंग सेंटर
Remedial Coaching Centre
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)
Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya
(A Central University)
Sagar (M.P.)